संक्षिप्त

कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान शुरू

मालपुरा (निस) पोलियो व चेचक रोग से निदान के बाद अब कुष्ठ रोग को जड से मिटा देश को कुष्ठ रोग मुक्त रोग बनाने के उदेश्य को लेकर निदेशालय चिकित्सालय एंव स्वास्थ्य विभाग के निर्देशो पर जिला कलेक्टर के आदेशो की पालना मे मंगलवार को टोरडी पंचायत मुख्यालय से कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान का शुभारम्भ किया गया। खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव चौधरी ने बताया कि जिस प्रकार हर एक नागरिक ने पोलियो व चेचक जैसी बिमारी को जड से मिटा देश को दोनो बिमारियो से मुक्त करने मे अपनी भागीदारी निभाई है अब दायित्व का निर्वहन करते हुए देश को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने मे सहभागी चौधरी ने बताया कि कुष्ठ रोग का ईलाज सम्भव है। जिले को कुष्ठ रोग मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व एएनएम घर-घर सर्वे कर कुष्ठ रोग के संदिग्ध लोगो को चिन्हित कर रिपोर्ट तैयार कर रहे है।

अलवर के दीपक का सम्मान किया

अलवर । जिला कलक्टर आशीष गुप्ता ने चेन्नई में आयोजित 'खेलों इंडिया' खेल प्रतियोगिता में अलवर निवासी दीपक सैनी के जिम्नास्टिक की अंडर 18 श्रेणी में रजत पदक जीतने पर अपने कार्यालय में सम्मानित किया। जिला कलक्टर ने युवा खिलाडी दीपक सैनी को खेलों इंडिया प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर शुभकामनाएं देते हुए आगामी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने माता-पिता सहित जिले व देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाडी दीपक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि कडी मेहनत और दृढ निश्चय से किसी भी मुकाम को पाया जा सकता है।

पाण्डुपोल में 31 तक निःशुल्क प्रवेश

अलवर । वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्रा प्रभार) संजय शर्मा के निर्देश पर वन विभाग के द्वारा सरिस्का स्थित पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए मंगलवार व शनिवार के साथ पूर्णिमा एवं पाण्डुपोल एवं भर्तृहरि मेले के दौरा दो दिन अलवर जिले के पंजीकृत वाहन आरजे ०2 की गाडियों के साथ-साथ अब भिवाडी आरजे 40 नंबर सीरिज की सभी गाडियों के लिए 31 मार्च 2025 तक निःशुल्क प्रवेश की अधिसूचना जारी की गई है।

शोक समाचार

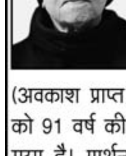

हमारे पूजनीय पिताजी

श्री कृष्ण कुमार सिंह

कमानडेन्ट RAC (अवकाश प्राप्त), का 28. 01.2024 को 91 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थना सभा 31.01.2024 को 3-4 बजे, हनुमान नगर कम्यूनिटी सेंटर, सी ब्लॉक, अयोध्या मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर पर रखी गई है।

शोकाकुल परिवार- श्रीमती जया सिंह, विवेक एवं शुभागता कुमार, अर्चना एवं डॉ. वागीश सिंह, प्रेरणा एवं निरंजन गोदारा, डॉ. नम्रता एवं डॉ. रवीन्द्र मोहिल, अपर्णा एवं उत्कर्ष फ़ौजदार एवं समस्त परिवारजन

तीये की बैठक

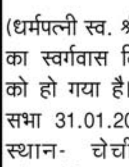

अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड रहा है कि हमारी पूजनीया माताजी

श्रीमती रामप्यारी देवी

(धर्मपत्नी स्व. श्री रामजी लाल चेची) का स्वर्गवास दिनांक 29.01.2024 को हो गया है। जिसकी श्रद्धांजलि सभा 31.01.2024 बुधवार निवास स्थान- चेची फार्म हाउस, खोनागोरियान, जगतपुरा रोड, जयपुर पर सांय 3:00 बजे से 4:00 बजे तक रखी गई है।

शोकाकुल- सुरेश, हेमराज, रोहिताश, लालचन्द, अम्बालाल, बाबूलाल, सत्यनारायण, महेन्द्र, मोहनलाल (पुत्र), दीपक, सुनिल, अनिल, गोलू (पौत्र) एवं समस्त चेची परिवार।

मो.- 9828108255, 9929109199

नम्बर मिलाइए 9587884433

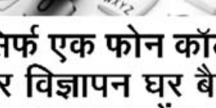

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजस्थान के सभी लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दो : टीकाराम जूली

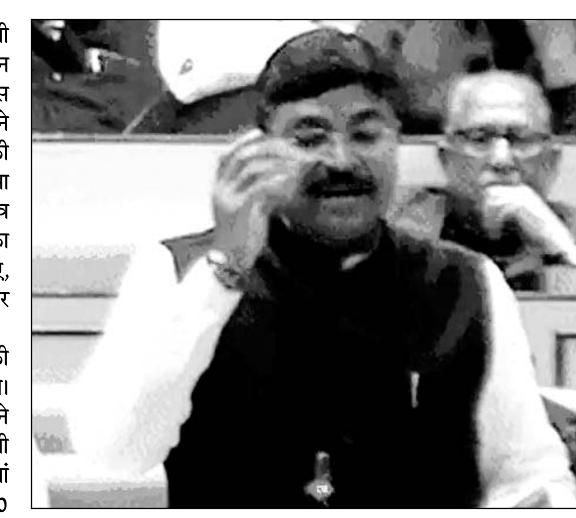

राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपना पक्ष रखा।

- राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के बजाय सरकार चाहे तो योजना का नाम बदल दे : नेता प्रतिपक्ष
- 'सरकार अच्छा काम करेगी तो हम सरकार का साथ देंगे, लेकिन अगर गलत करेगी तो सड़कों पर भी उतरेंगे'

जयपुर । नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा मांग उठाई कि राजस्थान के सभी लोगों को 450 रुपये मे गैस सिलेंडर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया गया, अगर राजीव गांधी का नाम पसंद नहीं है तो इसका नाम अटल युवा मित्र कर दीजिए, लेकिन 5 हजार परिवारों को बेरोजगार मत कीजिए।

जूली ने कहा कि अग्निवीर की जगह मंत्रीवीर योजना शुरू कर दी। मुख्यमंत्रीजी ये लोग आपको निपटाने में लगे थे। जब आचार संहिता लगती है, चुनाव में आचार संहिता में बच्चियां स्वागत करती हैं तो हम 100-50 रुपये देते भी डरते हैं, आपने तो आचार संहिता में मंत्री बना दिया, बाद में करणपुर की जनता ने नकार दिया। इसलिए अच्छा है कि हम संवैधानिक परंपराओं को माने। हमने पहले दिन ही कहा था सरकार अच्छा काम करेगी तो हम सरकार का साथ देंगे, लेकिन अगर गलत करेगी तो सड़कों पर भी उतरेंगे।

जूली ने कहा कि देश में जबसे मोदी आए हैं, खाद्य सुरक्षा में एक नया नाम नहीं जुड़ा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पर हैं। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रैंक में 79 वें नंबर पर हैं। मोदी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मात्र 100 दिन में काला धन लाने की बात कही, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, महंगाई-भ्रष्टाचार कम करने और डॉलर रुपया बराबर करने के वादे किए। ऐसे लग रहा है कि 90 के पार पहुंचाकर मानोगे। किसान की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया, आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन यूरिया का कट्टा 40 किलो से घटाकर 35 किलो कर दिया। पीएम आवास में राजस्थान के 9 लाख लोगों को वंचित कर दिया। यूपीए सरकार में डीजल 55 रुपए लीटर था, कहां पहुंचा दिया। राजस्थान के सभी लोगों को 450 में सिलेंडर दे दीजिए, लोग कहेंगे कि भजनलाल जैसा सीएम मिला है।

जूली ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्रीजी जब आप थाने का निरीक्षण करने गए तो कोई बड़ा अफसर प्रोटोकॉल में नहीं पहुंचा। आप हाजिरी भरने लग गए, थानेदार की कुर्सी पर बैठ गए। आप और हम ही हाजिरी भरने लग जाएंगे तो क्या रह जाएगा। इससे मुख्यमंत्री की पद की गरिमा गिरती है, ये आपके लोग इस तरह करवाते हैं। आप थाने में थानेदार की कुर्सी पर बैठ गए, लोग कहले लगे सीएम चुना है या थानेदार। जूली ने कहा पहले मंत्री जवाब देने में फंसते थे तो भारत माता की जय के नारे लगाते थे, अब जय श्रीराम के नारे लगाते है। इससे काम नहीं चलेगा।

जूली ने सीएम से कहा, मुख्यमंत्रीजी आप सज्जन और सौम्य व्यक्ति हैं, आपके साथी नहीं चाहते आप ज्यादा दिनों तक इस पद पर रहें। आपकी सरकार में यह असमंजस क्यों बना हुआ है। मुख्य सचिव और डीजी तक किराए के हैं। एजी की नियुक्ति नहीं हो रही, हाईकोर्ट डांट लगा रहा है। आईएएस की सूची आती है और शाम को चेंज हो जाती है। ज्यादातर अफसरों को एडिशनल चार्ज दे रखा है। यह असमंजस क्यों बना रखा है। यह 100 दिन की कार्य योजना कब तैयार होगी?

सेवा दोष के लिए पांच हजार का दण्ड

सांभरझील, (निसं)। सांभर पोस्ट ऑफिस डाकघर में स्पीड पोस्ट के लिए निर्धारित 17 रुपए के स्थान पर नाजायज 40 रुपए का शुल्क वसूलने के मामले में सेवा दोष प्रमाणित पाए जाने पर किरण देवी नागला पत्नी कैलाश नागला निवासी सूरज जी मंदिर के पास, छोटा बाजार, सांभरलेक के पक्ष में निर्णय देते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी डॉ. सुबेसिंह यादव, अध्यक्ष व आयोग की सदस्या नीलम शर्मा ने डाक विभाग को 45 दिनों के भीतर परिवादिया को कुल 5000 रुपए अदा करने का आदेश दिया है।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:- 15833 दिनांक:- 29.01.2024

जाहिर आम-सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास संख्या **264/218 (EWS),** (एरिया 47.625 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन **श्री कैलाश चन्द सैन पुत्र श्री सीताराम सैन** को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 7005 दिनांक 10.11.2003 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक **8743** दिनांक **02.01.2004** को जारी किया गया। **श्री कैलाश चन्द सैन** के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक **30.06.2004** को उप पंजीयक- सांगानेर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। **श्री कैलाश चन्द सैन** द्वारा **श्री मनीष कुमार बागड़ा पुत्र श्री गुलाबचन्द शर्मा** को दिनांक 31.03.2011 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। **श्री मनीष कुमार बागड़ा** द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 23.01.2012 के द्वारा **श्री नीरज जैमन पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा** को विक्रय कर उप पंजीयक -जयपुर-चतुर्थ, के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। **श्री नीरज जैमन** द्वारा उक्त आवास का विक्रय दिनांक **26.09.2014** को **श्री पंकज विजय पुत्र श्री ओम प्रकाश विजय** के नाम किया जाकर विक्रय पत्र उप पंजीयक-चतुर्थ, जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करनें में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, **श्री पंकज विजय पुत्र श्री ओम प्रकाश विजय** का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक
वृत्त- प्रथम राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या निर्मला कुमारी पत्नी राघवेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम अऊगेट, तहसील डीग, जिला भरतपुर द्वारा नीरजा श्रीवास्तव पत्नी धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव से उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 14-ए, (विभाजित दक्षिणी हिस्सा मूल प्लॉट नम्बर 14) रमनेशपुरी, निवारू रोड, जयपुर जिसका क्षेत्रफल 93.96 वर्गमीटर अर्थात 112.38 वर्गगज है को खरीद करने का इकरार किया है। मेरी अभिभाष्या उक्त सम्पत्ति को एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. में बंधक रखकर ऋण प्राप्त करना चाहता है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को उक्त सम्पत्ति के खरीद/बंधक से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करें बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
जयपुर (रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट
दिनांक- 30.01.2024 मो.नं. 9829256466

खोया पाया

जेडीए की योजना निलय कुंज जगतपुरा जयपुर के प्लाट नं. 310 का जेडीए से जारी कब्जा पत्र बैंक चालान रसीद एवं अन्य दस्तावेज जयपुर में खो गये है सूचित करें। योगेश शर्मा-9636366696

जेडीए की योजना मुरलीपुरा स्कीम के प्लाट नंबर ए-365 के मूल आवंटी से किया गया एग्रीमेंट का प्रथम पृष्ठ जयपुर में खो गया है सूचित करें। संतोष सिंह मो-9414228761

मेरे आवास संख्या 4/117 मालवीय नगर जयपुर का आवंटन पत्र क्रमांक 10089 दिनांक 04.01.1984 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 10435 दिनांक 25.01.1984 कहीं खो गये है। मिलने पर सूचित करें। 9887204568

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तेरह, जयपुर
राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज. आवा.) मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise constituted under RHB Act. 1970)
क्रमांक-आवा.अभि./खण्ड-13,रा.आ.म./2023-24/1125 दिनांक-6.6.2023

आम जाहीर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 3/97 निवाई आवासीय योजना निवाई, टोंक क्षेत्रफल 72.00 वर्गमीटर का आवंटन मूलतः श्री अमर सिंह नरूका पुत्र श्री इन्द्र सिंह नरूका को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1780 दिनांक 01.03.2023 ज्ञारी किया गया था। श्री अमर सिंह नरूका की मृत्यु दिनांक 06.01.2021 को हो गई है। श्री अमर सिंह नरूका की मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका द्वारा आवेदन पत्र मय प्रशासनिक शुल्क, शपथ पत्र, वारिसान के अनापत्ति घोषणा पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वयं व वारिसान के पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका पुत्र स्व. श्री अमर सिंह नरूका के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तेरह, जयपुर

सेवानिवृत आईएएस ओ.पी. सैनी का स्वागत किया

फुलेरा। कस्बे के श्रीरामनगर स्थित माली सैनी समाज भवन परिसर में फुलेरा माली समाज ने सेवानिवृत आईएएस ओ.पी. सैनी का स्वागत किया गया। उपरोक्त जानकारी देते हुए समाज के योगेन्द्र गहलोत ने बताया कि इस दौरान माली समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सैनी का माला व साफा पहनाकर स्वागत अभिनन्दन किया गया। इसके साथ ही एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सेवानिवृत वरिष्ठ आईएएस ओ पी सैनी ने फुलेरा में माली सैनी समाज के प्रबुद्धजन नागरिकों से राजनीतिक सामाजिक विचार विमर्श करते हुए विस्तार से चर्चा की। गौरतलब है कि आगामी कुछ समय उपरांत लोकसभा चुनाव होने वाले है। जिनमें सेवानिवृत वरिष्ठ आईएएस ओ पी सैनी भी जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे है। इस अवसर पर महन्त सत्यनारायण सैनी महाराज, सुरेश सैनी, शिवचरण सैनी, लेखराज, शेषनारायण सैनी, श्याम लाल सैनी सहित माली सैनी समाज के लोग उपस्थित रहे।

कशिश ने गोल्ड मैडल जीतकर फुलेरा का नाम रोशन किया

- ब्यावर से फुलेरा पहुंचते ही रेलवे स्टेशन पर ही फुलेरा के गौरव का भव्य स्वागत किया
- 12 वर्षीय कशिश सैनी ने राजस्थान बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में जीता गोल्ड

फुलेरा। फुलेरा की 12 वर्षीय कशिश सैनी ने ब्यावर में आयोजित राजस्थान बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में गोल्ड मैडल जीतकर अपने माता-पिता के साथ ही क्षेत्र का भी नाम रोशन किया।

जानकारी देते हुए कशिश के पिता श्याम लाल सैनी ने बताया कि कशिश शुरू से ही इस ओर ध्यान दे रही है। साथ ही इसके अलावा पढाई की ओर भी पूरा ध्यान दे रही है। वहीं आगे बताया कि कशिश की माताजी भी इसके लिए हरसंभव प्रयास करती है। इसी क्रम में आगे बताया कि जैसे ही कस्बे वासियों को बेटी कशिश के गोल्ड मैडल जीतने की सूचना मिली तो क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही उनके परिजनों को व्यक्तिगत एवं मोबाईल फोन पर बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करने का तांता लग गया। इसके अलावा सोमवार को जैसे ही फुलेरा की शान एवं गौरव कशिश सैनी ट्रेन से फुलेरा स्टेशन पर उतरी तो उनके परिचितों ने उनका पुष्प मालाओं व पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत अभिनन्दन किया। साथ ही रेलवे स्टेशन से उनके निवास तक गाजे बाजे के साथ विजयी जुलूस निकालकर हौसला अफजाई की। इस अवसर पर व्यापार महासंघ फुलेरा के अध्यक्ष मनोज आहूजा, प्रेम चन्द वर्मा, दौलत सिंह, शेषनारायण सैनी, रमेश चन्द्र वर्मा, लालचन्द कुमावत, रमेश चन्द कुमावत, सी.पी. त्रिपाठी, श्याम लाल, प्रमोद माथुर, ललित सोनी, संदीप जैन, राजेश शर्मा, गणेश लाल सैनी, गिरधर गोपाल सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे।

प्रतिभाओं का किया सम्मान

मालपुरा (निस) शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार मंगलवार को मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के आधा दर्जन सरकारी विद्यालय मे वार्षिक उत्सव आयोजित कर प्रतिभाओं व भामाशाहाओं का सम्मान किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बावडी सोडा मे आयोजित वार्षिक उत्सव मे अतिथि रहै किशन गुर्जर ने विद्यालय की प्रतिभाओं के साथ-साथ शिक्षक सियाराम शर्मा, पवन शर्मा, का सम्मान करते हुए संस्कृत शिक्षा को बढावा देने की बात कही। राजकीय कस्तुरबा गांधी विद्यालय मालपुरा मे प्रधानाचार्य गिरधर सिंह, अनुपम कालरा, पंकज नीमावत व राजकुमार शास्त्री ने आवासीय विद्यालय की प्रतिभाओं को सम्मान से नवाजा। स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कुल मालपुरा की पंचायत समिति प्रधान सकराम चौपडा सहित मुकेश शर्मा, राजेश मीणा, उमाशंकर ठागरिया,सुनिता वर्मा, मो. ईलियास,फारूक हसन कुरैशी,कजोड मल खटीक व प्रधानाचार्य हंसराज जाट ने प्रतिभावान विधार्थियो के साथ-साथ खिलाडी एवं भामाशाहाओं का सम्मान किया।

सूचना मैं सुगन कंवर पत्नी भंवर सिंह निवासी चन्दलाई, तह. चाकसू, जयपुर का एक सोसाईटी पट्टा बाब आर.एन. गोड गृह निर्माण सहकारी समिति का भूखण्ड संख्या 63 एरिया 200 वर्गगज आवासीय योजना श्रीमान नगर बिलवा का चन्दलाई से शिवदासपुरा के आस पास कहीं खो गया। किसी को पट्टा मिले तो संपर्क करें। मुकेश कुमार चौधरी एडवोकेट, मो.नं. 9667851050

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 32/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री अभय चौरडिया पुत्र श्री गुमान मल चौरडिया निवासी 17 जवाहर लाल नेहरू मार्ग बिरला मन्दिर के पास जवाहर नगर जयपुर राजस्थान-302004 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत जीव कल्याण परिषद 7 ट 18 जवाहर नगर जयपुर-302004 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 04.04.2024
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
मोहर अदालत

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी
क्रमांक-2099 दिनांक-24.01.2024

आवश्यक सूचना मूलतः मकान संख्या 2/164 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी श्री बखत राम दुआ को आवंटन पत्रांक 1355 दिनांक 05.02.1986 के द्वारा आवंटित किया गया था। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्ट्री स्वयं के पक्ष में दिनांक 01.07.2010 को उप पंजियक भिवाडी में पंजिकृत करवाई जा चुकी है। श्री बखत राम दुआ की मृत्यु दिनांक 26.05.2022 को हो चुकी है। श्री सुभाष चन्द दुआ ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्री बखत राम दुआ की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत वसीयतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इनके पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 26.05.2022 को हो जाने के कारण उपरोक्त मकान संख्या 2/164 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी का मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तान्तरण उनके नाम किया जायें। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त मकान संख्या 2/164 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी के संबंध में पिता, पुत्र, पुत्रियाँ, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री सुभाष चन्द दुआ पुत्र स्व. श्री बखत राम दुआ के पक्ष में उपरोक्त मकान संख्या 2/164 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी जिला अलवर का पंजीकृत वसीयत के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-भिवाडी

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 09 / 2024

चूंकि श्री के.सी बड़ेर कार्यवाहक प्रन्यासी ने पंजीकृत प्रन्यास कमानी चेरिटी ट्रस्ट, 2339 रामलाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 1 जयपुर 1963 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत न्यास की बैठक कर प्रन्यास के प्रन्यासी द्वारा त्याग पत्र देने के कारण उनका नाम हटाने व नवीन मनोनीत सदस्यो के नाम कार्यालय रिकार्ड में दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.01.24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।
आइंदा तारीख पेशी 01.03.24 आकाश रंजन (आर.ए.एस)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
मोहर देवस्थान विभाग, जयपुर

'आधारभूत संरचनाओं से जुड़े कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करें'

- नगर निगम आयुक्त व उप वन संरक्षक सरिस्का को प्रतापबंध के आसपास के क्षेत्र को अरबन फोरेस्ट के रूप में विकसित करने का संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये

अलवर । जिला कलक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में जिले की आधारभूत संरचनाओं के कार्यों की प्रगति की बैठक आयोजित हुई।

जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय रखते हुए जिले में प्रगतिरत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्रता से पूरा करावें। उन्होंने नगर विकास न्यास व नगर निगम के अधिकारियों को शहर की खराब रोड लाइटों को चालू कराने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर विकास न्यास के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि शहर की सडकों एवं प्रगतिरत कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा कराए। उन्होंने निर्देश दिये कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में मरम्मत आदि कार्य कराने के साथ खेल सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव तैयार करावे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया कि कालीमोरी व कठूमर के आरओबी के कार्यों को गति देने के लिए भूमि की माप आदि के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करावे। उन्होंने नगर निगम आयुक्त व उप वन संरक्षक सरिस्का को प्रतापबंध के आसपास के क्षेत्रा को अरबन फोरेस्ट के रूप में विकसित करने का संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने विद्युत विभाग एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि पेयजल योजनाओं एवं कृषि के विद्युत कनेक्शनों को समन्वय स्थापित कर शीघ्रता से जारी करें। उन्होंने नगर विकास न्यास, नगर निगम, जल संसाधन व जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सिलीसेढ झील से लालडिग्गी तक की कैनाल का संयुक्त सर्वे कर सिलीसेढ से लालडिग्गी में पानी लाने के कार्य का प्रस्ताव तैयार करे। उन्होंने जलदाय विभाग, विद्युत विभाग एवं नगर निगम को संयुक्त रूप से कार्य कर अवैध रूप से पेयजल टैंकर व आरओ पानी की सप्लाई करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें। बैठक में एडीएम प्रथम मुरारी लाल शर्मा, एडीएम शहर नरेश सिंह तंवर, नगर निगम आयुक्त मनीष कुमार फौजदार, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता जे.एल मीणा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए

अलवर । शहीद दिवस के अवसर पर आज मिनी सचिवालय में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जिला कलक्टर आशीष गुप्ता व पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा एवं अधिकारी व कार्मिकों ने गांधीजी को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान रामधुनी व गांधीजी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति भी हुई तथा स्वतंत्राता संग्राम के दौरान शहादत देने वाले अमर शहीदों के लिए दो मिनट का मौन धारण किया गया।

इस दौरान एडीएम प्रथम मुरारी लाल शर्मा, एडीएम द्वितीय संतोष कुमार मीणा, एडीएम शहर नरेश सिंह तंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय तेजपाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश खिंची, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रविकान्त सहित कलक्टेऊट के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

संख्यांक-2
विवाद्कों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला जयपुर
श्रीमति नूरजहाँ व अन्य विरूद्ध श्रीमति खुर्शीदा
वाद बाबत-प्रार्थना पत्र फाईनल डिक्री
वाद सं. 140 सन् 2019

नाम श्रीमति खुर्शीदा पत्नी स्व. जहूर मोहम्मद जाति मुसलमान स्थान- संजय नगर शहीदइन्द्रा ज्योति नगर भट्टा बस्ती शास्त्री नगर, जयपुर
प्रार्थी डिक्रीदार ने आपके विरूद्ध फाईनल डिक्री के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 02 माह 03 सन् 2024 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है।
आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिवादा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो या ना हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 29 माह 01 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
मोहर अदालत जिला न्यायालय, जयपुर जिला जयपुर

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति (फल एवं सब्जी) जयपुर
महात्मा ज्योतिबा फूले मुख्य मण्डी प्रांगण
कमांकः- 3248 दिनांकः- 25.01.2024

सूचना

इस कार्यालय द्वारा मुख्य मण्डी प्रांगण टर्मिनल मार्केट मुहाना में उत्तर दिशा की ओर स्थित चारदिवारी को लगते हुए 75 चिन्हांकित भूखण्डों में से 65 भूखण्ड सण्डरी शॉप (और ब्लॉक) अन्तर्गत आवंटित किये गये है। उक्त भूखण्डों की पूर्व की नम्बरिंग व आवंटित स्थल को आवंटन समिति की बैठक दिनांक 07.12.2023 के निर्णय के अध्यधीन संशोधित किया जाकर चिन्हांकित 75 भूखण्डों को पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए क्रम मे क्रम संख्या 01 से 75 तक नम्बरिंग किये जाने का अनुमोदन किया गया है। उक्त संशोधन से किसी आवंटी को आपत्ति हो तो कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
राज.संवाद / सी / 23 / 12459 सचिव

प्ररूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका मण्डल, सांभर लेक
क्रमांक-नपासा/2024/3556 **लोक सूचना** दिनांक-30.01.2024

1. श्री बाबुलाल रैगर पुत्र मन्नाराम रैगर जाति रैगर निवासी संजय नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये भू उपयोग परिवर्तन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	चाहा गया उपयोग
1	जयपुर	तेज्या का बास	2534/1599	कुल किता 01 रकबा 1.9200 हैक्टेयर	01 रकबा 19200 वर्गमीटर भूमि को आवासीय/व्यवसायिक में रूपान्तरण हेतु।

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोगार्थ (आवासीय भू-रूपान्तरण) हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप हैं तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 30.01.2024 को जारी की जाती है।
प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, सांभर लैक

प्ररूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका मण्डल, सांभर लेक
क्रमांक-नपासा/2024/3558 **लोक सूचना** दिनांक-30.01.2024

1. श्री बाबुलाल रैगर पुत्र मन्नाराम रैगर जाति रैगर निवासी संजय नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये भू उपयोग परिवर्तन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	चाहा गया उपयोग
1	जयपुर	तेज्या का बास	2534/1599 1599/2	खसरा नं. 2534/1599 में से कुल किता 01 रकबा 0.1665 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 1.7235 हैक्टेयर कुल 1.8900 है।	01 रकबा 18900 वर्गमीटर भूमि को आवासीय/व्यवसायिक में रूपान्तरण हेतु।

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोगार्थ (आवासीय भू-रूपान्तरण) हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप हैं तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 30.01.2024 को जारी की गई।
प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, सांभर लैक

विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह

भामाशाह सम्मान समारोह विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. संजय यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया।

फुलेरा। कस्बे की जोबनेर रोड़ पर संचालित सेठ सूरजमल अग्रवाल महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को प्रात 11 बजे वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. संजय यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद् शक्ति सिंह रहे तो अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षाविद् भंवर लाल कुमावत, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या नविता वर्मा, शंकर लाल मीणा, अशोक पारीक रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में आगन्तुक अतिथियों ने मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिह्न देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसी के साथ विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि शक्ति सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से मन लगाकर अध्यनन करना चाहिए। ताकि परीक्षा परिणाम में श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर अपना भविष्य उज्जवल बनाया जा सके। इसी क्रम में कार्यक्रम के अतिविशिष्ट अतिथि भंवर लाल कुमावत ने भी मंच के माध्यम से कहा कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक गतिविधियों पर मात्र विद्यालय परिसर में ही नही बल्कि बाहर भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उसमें कोई कमी दिखाई दे तो उसके बारे मे अभिभावकों को अवगत कराये। जिससे विद्यार्थीयों गलत संगति से बचाया जा सके, और उनका और अपने देश का भविष्य उज्जवल हो सके। वहीं कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों व सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम विनोद शर्मा पुत्र श्री बंसी धर शर्मा से बदल कर विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री बंसीधर शर्मा रख लिया है भविष्य में मुझे विनोद कुमार शर्मा के नाम से जाना जावें। पता-एस-25, 26 पथ नं. 3 खेतान अस्पताल के पास विजयबारी, विद्याधर नगर जयपुर, राजस्थान

मैं, सुधांशु बिहाणी, निधि बिहाणी हमारी पुत्री का नाम वान्या से बदलकर वान्या बिहाणी कर रहे है भविष्य में इसे वान्या बिहाणी के नाम से जाना जाए।

मैंने मेरा नाम हरिकिशन से बदलकर हरि किशन असरानी रख लिया। भविष्य में मुझे नये नाम से जाना जावें। पता-मकान नं. 3-क-44 हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर।

मेरा नाम पासपोर्ट (नं. यू-392858) में गलती से जितेश मीना दर्ज हो गया है। मेरा सही नाम जितेश कुमार मीना है। पता-ग्राम-उदेई खुर्द, तहसील-वजीरपुर, जिला-गंगापुर सिटी, राजस्थान

I Pushpa Jain W/o Kamlesh Kumar Kasliwal Solemnly declare that I have changed my name from Pushplata Jain to Pushpa Jain R/o Plot No. B-118, 10-B Scheme, Gopalura Bypass Jaipur, Rajasthan-302018. for all future purposes.

SBI भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

परिशिष्ट IV क { नियम 8(6) का परन्तुक देखें } अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूत हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी **मैसर्स श्री श्याम कस्टमर सेटिसफेक्सन जरिये प्रोपराइटर एवं गारंटर श्री विमल कुमार पथिक पुत्र श्री किशोरी लाल पथिक** को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित/बन्धक है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, जयपुर (राजस्थान)** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, प्रतिभूत लेनदार द्वारा **"जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जितनी भी उपलब्ध है" और "दायित्व रहित"** के आधार पर **दिनांक 07.03.2024** को बेचा जायेगा। **भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, जयपुर (राजस्थान)**, प्रतिभूत लेनदार के बकाया राशि **रू. 47,10,516.25 सैंतालीस लाख दस हजार पांच सौ सोलह रूपए एवं पचीस पैसे मात्र (दिनांक 04.04.2022 को बकाया) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्च इत्यादि** अतिरिक्त जो कि **मैसर्स श्री श्याम कस्टमर सेटिसफेक्सन जरिये प्रोपराइटर एवं गारंटर श्री विमल कुमार पथिक पुत्र श्री किशोरी लाल पथिक** से संबंधित है।
आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि निम्न तालिका अनुसार होगी। अग्रिम राशि बैंक/एमएसटीसी की वैब साइट पर दी गई प्रकिया अनुसार ई-नीलामी बंद होने से पूर्व जमा कराई जा सकती है।

अचल सम्पत्ति का ब्यौरा	आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि	समय
साम्यिक बंधक का सब हिस्सा और खंड जो की श्री विमल कुमार पथिक पुत्र श्री किशोरी लाल पथिक के नाम दुकान नं. 208 (बिना उपरी छत के), दूसरी मंजिल, वंडर माल, ब्लाक-ए, केडलगंज, अलवर, जिला अलवर, राजस्थान स्थित निर्मित भवन जिसका निर्मित क्षेत्र 482 वर्ग फीट है, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है:- पूर्वः खुला गलियारा, पश्चिमः भूतल के लिए खुला स्थान, उत्तरः दुकान नं. 207, दक्षिणः अन्य दुकाने	रू. 28,92,000/- रू. 2,89,200/-	सुबह 11:00 से दोपहर 03:00

अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं
इच्छुक बोलीदाता एमएसटीसी के पास प्री-बिड ईएमडी की राशि ई-नीलामी बंद होने से पूर्व जमा कर सकते है। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई-नीलामी वेबसाइट में ऐसी जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री-बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। इन कार्यवाहियों को अद्यतन/अपडेट होने में बैंकिंग प्रकिया के अनुसार कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की किसी भी समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि पर्याप्त समय रहते जमा करें।
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए **भारतीय स्टेट बैंक**, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाईट https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others व https://ibapi.in/Sale_Info_Home.aspx पर देखें।
हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 25.01.2024, स्थान: जयपुर (राज.) भारतीय स्टेट बैंक

Website: bank.sbi
Landline No.: +91-141 265811, 2657989
Fax: +91-141 2657926, 2657921
Email: Sbi.18184@sbi.co.in
Stressed Assets Recovery Branch
3rd Floor, Matrix Mall, Sector-4
Jawahar Nagar, Jaipur- 302004
तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा
तीसरी मंजिल, मेट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4
जवाहर नगर, जयपुर - 302004